नाम न्यायालय : – सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट आमेर मु0 जयपुर

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक, आमेर मु० जयपुर

केस संख्या : 87/2025 कैलाश बनाम गोपाल

केस संख्या			विशेष विवरण
	02/01/2026	पत्रावली प्रस्तुत। व०फ० 350। आपत्ति कुर्सीनात खारिज की जाकर तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्सीनात रिपोर्ट के आधार पर वाद डिक्री किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:19:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

वाद प्रस्तुति दिनांक 20.06.2025

वाद संख्या– 89/2025

1. फैजल खाँ पुत्र रूस्तम खाँ जाति पठान निवासी प्लाट न. 22, 23, जसवन्तनगर, खातीपुरा रोड, जयपुर
2. फिरोज खाँ पुत्र रूस्तम खाँ जाति पठान निवासी प्लाट न. 22, 23, जसवन्तनगर, खातीपुरा रोड, जयपुर ।
3. बिसमिल्ला खाँ पत्नी रूस्तम खापिता रूस्तम खाँ जाति पठान निवासी प्लाट न. 22, 23, जसवन्तनगर, खातीपुरा रोड, जयपुर।
4. महरून निशा पुत्री रूस्तम खाँ जाति पठान निवासी प्लाट न. 22, 23, जसवन्तनगर, खातीपुरा रोड, जयपुर ।
5. अमजद खाँ पुत्र रूस्तम खाँ जाति पठान निवासी प्लाट न. 22, 23, जसवन्तनगर, खातीपुरा रोड, जयपुर ।

.......वादी

बनाम

1. गजानन्द पुत्र सीताराम जाति ब्राहमण निवासी ग्रा लालचन्दपुरा तहसील जयपुर जिला जयपुर।
2. पवन पुत्र सीताराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम लालचन्दपुरा तहसील जयपुर जिला जयपुर।
3. रविकुमार पुत्र सीताराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम लालचन्दपुरा तहसील जयपुर जिला जयपुर ।
4. राजेश कुमार पुत्र सीताराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम लालचन्दपुरा तहसील जयपुर जिला जयपुर ।
5. मुन्नी देवी पत्नी सीताराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम लालचन्दपुरा तहसील जयपुर जिला जयपुर।
6. उपपंजीयक जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर राजस्थान।
7. तहसीलदार तहसील जालसु जिला जयपुर राजस्थान।

........प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:19:05 IST
Reason: SelfAttested

<u>वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955</u>

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

दिनांक 02.01.2026

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि वाके ग्राम रायथल, पटवार हल्का रायथल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील जालसू जिला जयपुर स्थित राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2073 से 2076 के अनुसार आराजी खाता संख्या 141 में वर्णित खसरा नम्बर 352/1420 रकबा 1.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 94 रकबा

2.5300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 97 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 98 रकबा 1. 7500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 99 रकबा 11.1000 हैक्टेयर, कुल किता 5 कुल 16 रकबा 16.4400 हैक्टयर भूमि के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 रेकार्डेड खातेदार सहकाश्तकार है। वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि विवादग्रस्त है, जिसे वादपत्र के अन्य मदो में भूमि विवादग्रस्त से संवोधित किया जायेगां। वादपत्र के मद संख्या 1 मे अंकित विवादग्रस्त भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2076 के खाता संख्या 141 के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की कब्जे काश्त की सहकाश्तकारी की अविभाजित कृषि भूमि है परन्तु वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विवादग्रस्त आराजी का आज तक बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर तकासमा विधिवत नही हुआ है, जबकि वादीगण मौके पर अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। दिनांक 08.06.2025 को कुछ अजनबी व्यक्ति वादग्रस्त भूमि पर आकर खरीद फरोख्त की बातचीत करने लगे जिस पर वादी संख्या 5 ने उनसे पूछा तब अजनबी व्यक्तियों ने कहा कि हम प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 से भूमि विवादग्रस्त को कय कर रहे है। उक्त परिस्थितियों से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण विवादग्रस्त भूमि व उसके विशिष्ठ भू–भाग बेचान करने पर आमादा है, जिस पर वादीगण ने उन्हे मना किया कि उक्त भूमि का विभाजन नही हुआ है, इसलिए जब तक उक्त भूमि का विभाजन नही हो जाता है, तब तक आप उक्त भूमि के किसी भी विशिष्ठ भू भाग का बेचान नही कर सकते है, जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को ऐलानिया धमकी दी की हम जैसे चाहेगे वैसे भूमि का बेचान करेगे आप हमे नही रोक सकते है। उक्त परिस्थिति मे वादीगण के लिये भूमि विवादग्रस्त का विधिवत् विभाजन करवाना तथा प्रतिवादीगण को पाबन्द करवाने के बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी अधिकारी है कि वह विवादग्रस्त भूमि में से अपने हिस्से का विधिवत मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिवत विभाजन न्यायालय से करवा लेवे व अलग से अपना खाता व लगान तय करा कर राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि विभाजन के अनुरूप करा लेवे। वादीगण अपने कब्जेकाश्त व हिस्से की भूमि पर प्रतिवादीगण को पाबन्द करवाने के अधिकारी है कि वादीगण के कब्जे काश्त व हिस्से की भूमि पर किसी प्रकार के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे और ना ही वादीगण को उसके कब्जे काश्त की व हिस्से की भूमि से बेदखल करे तथा भूमि विवादग्रस्त का विधिवत् विभाजन होने तक प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि या उसके किसी विशिष्ठ विक्रय हस्तानान्तरण नही करें और नही वादीगण के कब्जेकाश्त में दखलअन्दाजी करें। उक्त कार्य ना तो स्वयं करें ना ही अपने परिवारजन, एजेन्ट, सर्वेन्ट आदि से करवावें। इसलिए प्रतिवादीगण को वादीगण जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना कानूनन आवश्यक है। यह कि दावा बाबत् विभाजन का होने से राज० सरकार जरिये तहसीलदार, जालसू जिला जयपुर को आवश्यक पक्षकार है इसलिये प्रतिवादी संख्या 7 के रूप में पक्षकार बनाया गया है तथा वादग्रस्त भूमि का पंजीयन अधिकारी प्रतिवादी संख्या 6 होने के कारण उक्त वाद मे बतौर उपपंजीयक जालसू को पक्षकार संयोजित किया गया है। विवादग्रस्त कृषि भूमि वाके ग्राम रायथल, पटवार हल्का रायथल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील जालसू जिला जयपुर माननीय न्यायालय के

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:19:05 IST
Reason: SelfAttested

क्षेत्राधिकार स्थित होने के कारण माननीय न्यायालय को उक्त वाद को सुनने एवं निर्णित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वाद निर्धारित न्यायाशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण किया जावें।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व दिनांक 11.09.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 2, 3, एवं 4 ने जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया जिसमें भी प्रतिवादीगण ने उक्त आराजी का बंटवारा ही चाहा है।

प्राथमिक डिक्री पर बहस उभयपक्ष सुनी गई तथा वादी का वाद कब्जे काश्त के मध्यनजर बाई मीटस एंड बाउंडस के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया तदनुसार तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर को निर्देशित किया गया कि वे राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए वाके ग्राम रायथल, पटवार हल्का रायथल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील जालसू जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 352/1420 रकबा 1.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 94 रकबा 2.5300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 97 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 98 रकबा 1. 7500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 99 रकबा 11.1000 हैक्टेयर, कुल किता 5 कुल 16 रकबा 16.4400 हैक्टयर भूमि का कब्जे काश्त के मध्यनजर, उभयपक्षो को विभाजन में अपने अपने हिस्से की भूमि पर पहुंचने हेतू सुगम रास्ते का प्रावधान करते हुए, बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर तकासमा कर जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन प्रतियों में भिजवाने हेतू आदेशित किया गया।

तहसीलदार जालसू ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/2025/4676 दिनांक 14.10.2025 के द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये गये। कुर्रेजात पर बहस सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 2 व 4 के ऐतराज कुर्रेजात प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें मुख्य आपत्ति यह रही है कि कुर्रेजात रिपोर्ट पक्षकारों की अनुपस्थिति में तैयार की गई है। तथा कुर्रेजात रिपोर्ट विक्रय पत्र दिनांक 17.09.2005 के अनुसार नहीं बनाई गई है। रिपोर्ट मौके के विपरित बनाई गई है इसलिए पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट बनवाने के आदेश दिये जावे।

वादी अधिवक्ता ने इस आपत्ति जाहिर की। हमने उभयपक्ष की बहस एवं आपत्ति प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। तहसीलदार जालसू द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त आराजी मे उभयपक्ष को अपने हिस्सेनुसार विभाजन प्रस्ताव में हिस्सा दिया गया है तथा पक्षकारान को उनके हिस्से पर रास्ते की ओर समुचित व्यवस्था करते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है। वादी उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट के संबंध में कोई न्याय संगत ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया कि किसी भी पक्षकार को उसके हिस्से से अधिक भूमि दिया जाना प्रस्तावित किया हो अथवा रास्ते की समुचित व्यवस्था नही हों। तहसीलदार जालसू द्वारा निर्णय व प्राथमिक डिक्री की पूर्ण पालना कर ही रिपोर्ट

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:19:05 IST
Reason: SelfAttested

तैयार की है। अतः आपत्तियां खारिज की जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट की आधार पर वाद डिक्री किया जाता है :—

1. अमजद खा पुत्र रूस्तम खां हिस्सा 10422 / 42625 जाति पठान सा. प्लाट नम्बर 22, 23, जसवन्तनगर खातीपडा रोड जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा 10422 / 42625 स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा चौमू, फैजल खा पुत्र रूस्तम खां हिस्सा 10422 / 42625 जाति पठान सा. प्लाट नम्बर 22, 23, जसवन्तनगर खातीपडा रोड जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखौ चौमू, फिरोज खां पुत्र रूस्तम खां हिस्सा 10422 / 42625 जाति पठान सा. प्लाट नम्बर 22, 23, जसवन्तनगर खातीपुरा रोड जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा 10422 / 4625 स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा चौमूँ, महरून निशा पत्री रूस्तम खां हिस्सा 7583 / 127875 जाति पठान सा. प्लाट नम्बर 22, 23, जसवन्तनगर खातीपपुरा रोड जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा 7583 / 127875 स्टेट बैंक आफ इण्डिया. शाखा चौमूँ, बिसमिल्ला खाँ पत्नि रूस्तम खां हिस्सा 26494 / 127875 जाति पठान सा. प्लाट नम्बर 22, 23 जसवंत नगर रोड खातीपुरा जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा 26494 / 127875, आफ इण्डिया शाखा चौमू के हिस्से खसरा नंबर 94 / 2 रकबा 0.2100 है., 99 / 2 रकबा 10.8175 है., 97 रकबा 0.0100 है., 98 रकबा 1.7500 है. कुल किता 4 कुल रकबा 12.7875 है. भूमि रहेगी।
2. गजानन्द पुत्र सीताराम हिस्सा 1 / 5 जाति ब्राहमण, ग्राम लालचन्दपुरा तहसील जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा 1 / 5 आईसीआईसीआई बैंक लि. शाखा रायथल, रविकुमार पुत्र सीताराम हिस्सा 1 / 5 जाति ब्राहमण, ग्राम लालचन्दपुरा तहसील जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा 1 / 5 आईसीआईसीआई बैंक लि. शाखा रायथल, पवन पुत्र सीताराम का हिस्सा 1 / 5 जाति ब्राह्मण, ग्राम लालचंदपुरा तहसील जयपुर खातेदार, राजेशकुमार पुत्र सीताराम हिस्सा 1 / 5 जाति ब्राह्मण, ग्राम लालचंदपुरा तहसील जयपुर खातेदार, मुन्निदेवी पत्नी सीताराम का हिस्सा 1 / 5 जाति ब्राह्मण, ग्राम लालचंदपुरा तहसील जयपुर खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 94 / 1 रकबा 2.32 है., 99 / 1 रकबा 0.2825 है. कुल किता 2 कुल रकबा 2.6025 है. भूमि रहेगी।
3. अमजद खा पुत्र रूस्तम खां हिस्सा 27 / 548 जाति पठान सा. प्लाट नम्बर 22, 23, जसवन्तनगर खातीपुरा रोड जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा 27 / 548 स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा चौमूँ, अमजद खा पुत्र रूस्तम खां हिस्सा 253 / 1644 जाति पठान सा. प्लाट नम्बर 22, 23, जसवन्तनगर खातीपुरा रोड जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा 253 / 1644 स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा चौमूँ, फैजल खा पुत्र रूस्तम खां हिस्सा 27 / 548 जाति पठान सा. प्लाट नम्बर 22, 23, जसवन्तनगर खातीपुरा रोड जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा 27 / 548 स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा चौमूँ, फैजल खा पुत्र रूस्तम खां हिस्सा 253 / 1644 जाति पठान सा. प्लाट नम्बर 22, 23, जसवन्तनगर खातीपुरा रोड जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा 253 / 1644 स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा चौमूँ, फिरोज खां पुत्र रूस्तम खां हिस्सा 27 / 548 जाति पठान सा. प्लाट नम्बर 22, 23, जसवन्तनगर खातीपुरा रोड जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा 27 / 548 स्टेट बैंक आफ

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:19:05 IST
Reason: SelfAttested

इण्डिया शाखा चौमूँ, फिरोज खां पुत्र रूस्तम खां हिस्सा 253/1644 जाति पठान सा. प्लाट नम्बर 22, 23, जसवन्तनगर खातीपुरा रोड जयपुर, खातेदार राहिन हिस्सा 253/1644 स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा चौमूँ, महताब निशा पुत्री रूस्तम खां हिस्सा 27/548 जाति पठान सा. प्लाट नम्बर 22, 23, जसवन्तनगर खातीपुरा रोड जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा 27/548 स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा चौमूँ, बिसमिल्ला खाँ पत्नि रूस्तम खां हिस्सा 27/548 जाति पठान सा. प्लाट नम्बर 22, 23, जसवन्तनगर खातीपुरा रोड जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा 27/548 स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा चौमूँ, बिसमिल्ला खाँ पत्नि रूस्तम खां हिस्सा 101/822 जाति पठान सा. प्लाट नम्बर 22, 23, जसवन्तनगर खातीपुरा रोड जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा 101/822 स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा चौमूँ, गजानन्द पुत्र सीताराम हिस्सा 139/4110 जाति ब्राह्मण, ग्राम लालचन्दपुरा तहसील जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा 139/4110 आईसीआईसीआई बैंक लि. शाखा रायथल, रविकुमार पुत्र सीताराम हिस्सा 139/4110 जाति ब्राह्मण, ग्राम लालचंदपुरा तहसील जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा 139/4110 आईसीआईसीआई बैंक लि. शाखा रायथल, पवन पुत्र सीताराम हिस्सा 139/4110 जाति ब्राह्मण, ग्राम लालचन्दपुरा तहसील जयपुर खातेदार, राजेश कुमार पुत्र सीताराम हिस्सा 139/4110 जाति ब्राह्मण, ग्राम लालचंदपुरा तहसील जयपुर खातेदार, मुन्नी देवी पत्नी सीताराम हिस्सा 139/4110 जाति ब्राह्मण, ग्राम लालचंदपुरा तहसील जयपुर खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 352/1420 रकबा 1.0500 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:19:05 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस

वाद संख्या– 89 / 2025 — वाद प्रस्तुति दिनांक 20.06.2025

1. फैजल खाँ पुत्र रूस्तम खाँ जाति पठान निवासी प्लाट न. 22, 23, जसवन्तनगर, खातीपुरा रोड, जयपुर
2. फिरोज खाँ पुत्र रूस्तम खाँ जाति पठान निवासी प्लाट न. 22, 23, जसवन्तनगर, खातीपुरा रोड, जयपुर ।
3. बिसमिल्ला खाँ पत्नी रूस्तम खापिता रूस्तम खाँ जाति पठान निवासी प्लाट न. 22, 23, जसवन्तनगर, खातीपुरा रोड, जयपुर।
4. महरून निशा पुत्री रूस्तम खाँ जाति पठान निवासी प्लाट न. 22, 23, जसवन्तनगर, खातीपुरा रोड, जयपुर ।
5. अमजद खाँ पुत्र रूस्तम खाँ जाति पठान निवासी प्लाट न. 22, 23, जसवन्तनगर, खातीपुरा रोड, जयपुर ।

.......वादी

बनाम

1. गजानन्द पुत्र सीताराम जाति ब्राहमण निवासी ग्रा लालचन्दपुरा तहसील जयपुर जिला जयपुर।
2. पवन पुत्र सीताराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम लालचन्दपुरा तहसील जयपुर जिला जयपुर।
3. रविकुमार पुत्र सीताराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम लालचन्दपुरा तहसील जयपुर जिला जयपुर ।
4. राजेश कुमार पुत्र सीताराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम लालचन्दपुरा तहसील जयपुर जिला जयपुर ।
5. मुन्नी देवी पत्नी सीताराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम लालचन्दपुरा तहसील जयपुर जिला जयपुर।
6. उपपंजीयक जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर राजस्थान।
7. तहसीलदार तहसील जालसु जिला जयपुर राजस्थान।

........प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:19:05 IST
Reason: SelfAttested

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अ[illegible]गत [illegible] 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधि[illegible]म –1955

तहसीलदार जालसू से प्राप्त [illegible] रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:–

1. अमजद खा पुत्र रूस्तम खां हिस्सा 10422 / 42625 जाति पठान सा. प्लाट नम्बर 22, 23, जसवन्तनगर खातीपडा रोड जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा 10422 / 42625 स्टेट बैंक आफ

इण्डिया शाखा चौमू, फैजल खा पुत्र रूस्तम खां हिस्सा 10422/42625 जाति पठान सा. प्लाट नम्बर 22, 23, जसवन्तनगर खातीपडा रोड जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखौ चौमू, फिरोज खां पुत्र रूस्तम खां हिस्सा 10422/42625 जाति पठान सा. प्लाट नम्बर 22, 23, जसवन्तनगर खातीपुरा रोड जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा 10422/4625 स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा चौमूँ, महरून निशा पत्री रूस्तम खां हिस्सा 7583/127875 जाति पठान सा. प्लाट नम्बर 22, 23, जसवन्तनगर खातीपपुरा रोड जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा 7583/127875 स्टेट बैंक आफ इण्डिया. शाखा चौमूँ, बिसमिल्ला खाँ पत्नि रूस्तम खां हिस्सा 26494/127875 जाति पठान सा. प्लाट नम्बर 22, 23 जसवंत नगर रोड खातीपुरा जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा 26494/127875, आफ इण्डिया शाखा चौमू के हिस्से खसरा नंबर 94/2 रकबा 0.2100 है., 99/2 रकबा 10.8175 है., 97 रकबा 0.0100 है., 98 रकबा 1.7500 है. कुल किता 4 कुल रकबा 12.7875 है. भूमि रहेगी।

2. गजानन्द पुत्र सीताराम हिस्सा 1/5 जाति ब्राहमण, ग्राम लालचन्दपुरा तहसील जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा 1/5 आईसीआईसीआई बैंक लि. शाखा रायथल, रविकुमार पुत्र सीताराम हिस्सा 1/5 जाति ब्राहमण, ग्राम लालचन्दपुरा तहसील जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा 1/5 आईसीआईसीआई बैंक लि. शाखा रायथल, पवन पुत्र सीताराम का हिस्सा 1/5 जाति ब्राह्मण, ग्राम लालचंदपुरा तहसील जयपुर खातेदार, राजेशकुमार पुत्र सीताराम हिस्सा 1/5 जाति ब्राह्मण, ग्राम लालचंदपुरा तहसील जयपुर खातेदार, मुन्निदेवी पत्नी सीताराम का हिस्सा 1/5 जाति ब्राह्मण, ग्राम लालचंदपुरा तहसील जयपुर खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 94/1 रकबा 2.32 है., 99/1 रकबा 0.2825 है. कुल किता 2 कुल रकबा 2.6025 है. भूमि रहेगी।

3. अमजद खा पुत्र रूस्तम खां हिस्सा 27/548 जाति पठान सा. प्लाट नम्बर 22, 23, जसवन्तनगर खातीपुरा रोड जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा 27/548 स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा चौमूँ, अमजद खा पुत्र रूस्तम खां हिस्सा 253/1644 जाति पठान सा. प्लाट नम्बर 22, 23, जसवन्तनगर खातीपुरा रोड जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा 253/1644 स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा चौमूँ, फैजल खा पुत्र रूस्तम खां हिस्सा 27/548 जाति पठान सा. प्लाट नम्बर 22, 23, जसवन्तनगर खातीपुरा रोड जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा 27/548 स्टेट बैक आफ इण्डिया शाखा चौमूँ, फैजल खा पुत्र रूस्तम खां हिस्सा 253/1644 जाति पठान सा. प्लाट नम्बर 22, 23, जसवन्तनगर खातीपुरा रोड जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा 253/1644 स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा चौमूँ, फिरोज खां पुत्र रूस्तम खां हिस्सा 27/548 जाति पठान सा. प्लाट नम्बर 22, 23, जसवन्तनगर खातीपुरा रोड जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा 27/548 स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा चौमूँ, फिरोज खां पुत्र रूस्तम खां हिस्सा 253/1644 जाति पठान सा. प्लाट नम्बर 22, 23, जसवन्तनगर खातीपुरा रोड जयपुर, खातेदार राहिन हिस्सा 253/1644 स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा चौमूँ, महरून निशा पुत्री रूस्तम खां हिस्सा 27/548 जाति पठान सा. प्लाट नम्बर 22, 23, जसवन्तनगर खातीपुरा रोड जयपुर

सहायक कलक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:19:05 IST
Reason: SelfAttested

खातेदार राहिन हिस्सा 27 / 548 स्टेट बैक आफ इण्डिया शाखा चौमूँ, बिसमिल्ला खाँ पत्नि रूस्तम खां हिस्सा 27 / 548 जाति पठान सा. प्लाट नम्बर 22, 23, जसवन्तनगर खातीपुरा रोड जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा 27 / 548 स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा चौमूँ, बिसमिल्ला खॉ पत्नि रूस्तम खां हिस्सा 101 / 822 जाति पठान सा. प्लाट नम्बर 22, 23, जसवन्तनगर खातीपुरा रोड जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा 101 / 822 स्टेट बैक आफ इण्डिया शाखा चौमूँ, गजानन्द पुत्र सीताराम हिस्सा 139 / 4110 जाति ब्राहमण, ग्राम लालचन्दपुरा तहसील जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा 139 / 4110 आईसीआईसीआई बैंक लि. शाखा रायथल, रविकुमार पुत्र सीताराम हिस्सा 139 / 4110 जाति ब्राह्मण, ग्राम लालचंदपुरा तहसील जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा 139 / 4110 आईसीआईसीआई बैंक लि. शाखा रायथल, पवन पुत्र सीताराम हिस्सा 139 / 4110 जाति ब्राहमण, ग्राम लालचन्दपुरा तहसील जयपुर खातेदार, राजेश कुमार पुत्र सीताराम हिस्सा 139 / 4110 जाति ब्राह्मण, ग्राम लालचंदपुरा तहसील जयपुर खातेदार, मुन्नी देवी पत्नी सीताराम हिस्सा 139 / 4110 जाति ब्राह्मण, ग्राम लालचंदपुरा तहसील जयपुर खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 352 / 1420 रकबा 1.0500 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 02.01.2026 को जारी किया।

दस्तखत———
ओहदा———

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये		बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये	
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:19:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर